वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001

सा०/No. : 5-1(70)/2009-PD

दिनांक/Dated: 30.07.2021

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. SI. No.	कार्यालय ज्ञापन सं/. Office Memorandum No.	विषय/ Subject
1.	भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं० 42/07/2021-P&PW(D) दिनांक 22.07.2021 Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension & Pensioners' Welfare Office Memorandum No. 42/07/2021-P&PW(D) dated 22.07.2021	केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों /कुटुंब पेंशनभोगियों को 01.07.2021 से महंगाई राहत की संशोधित दरें Revised rates of Dearness Relief to Central Government Pensioners/Family Pensioners w.e.f 01.07.2021.

भवदीय/Yours faithfully

30/07/21

संतोष कुमार/Santosh Kumar
अनु.अधि.(नीति प्रभाग)/Section Officer (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above
प्रतिलिपि/Copy to:

1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक:- 22 जुलाई, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को 01.07.2021 से महंगाई राहत की संशोधित दरें

अधोहस्ताक्षरी को वित्त मंत्रालय(व्यय विभाग) के दिनांक 23.04.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2020-ई-II(बी) का संदर्भ देते हुए, जिसके द्वारा पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय महंगाई राहत की किस्तें रोक दी गई थी, यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय लिया है कि केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत को 01.07.2021 से मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन (जिसमें अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन भी है) के 17% की वर्तमान दर से बढ़ाकर 28% कर दिया जाए। इस वृद्धि में 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 को देय अतिरिक्त किस्तें सम्मिलित है। इस विभाग के दिनांक 21.10.2019 के का.ज्ञा. सं.42/04/2019-पी&पीडब्ल्यू(डी) के अनुसार पूर्व में अवधारित महंगाई राहत की दर, 01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन का 17% ही रहेगी।

2. महंगाई राहत की ये दरें निम्नलिखित पर लागू होंगी :

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में आमेलित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी जिनकी बाबत 15 वर्ष की सारांशीकरण अवधि के समाप्त होने के पश्चात पूर्ण पेंशन की बहाली हेतु इस विभाग के दिनांक 23.06.2017 के का.ज्ञा. सं.4/34/2002-पी&पीडब्ल्यू(डी)खंड-II द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, सहित सिविलियन केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(ii) सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और सिविलियन पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी जिनके लिए रक्षा सेवा प्राक्कलनों से अदायगी की जाती है।

(iii) अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(iv) रेलवे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(v) ऐसे पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(vi) बर्मा सिविलियन पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और पाकिस्तान से विस्थापित पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जिनकी बाबत इस विभाग के दिनांक 11.09.2017 के का.ज्ञा. सं.23/3/2008-पी&पीडब्ल्यू(बी) द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

3. मंहगाई राहत के संदाय में जहां एक रुपये का कोई भाग हो, वहां उसे अगले पूर्ण रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

4. नियोजित कुटुंब पेंशनभोगियों और पुनर्नियोजित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों की बाबत महंगाई राहत की अनुज्ञा को विनियमित करने वाले अन्य उपबंधों को, इस विभाग के दिनांक 02.07.1999 के का.ज्ञा.

एस. एन. माथुर

5. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में, आवश्यक आदेश, न्याय विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

6. यह पेंशन संवितरण प्राधिकारियों, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक आदि भी हैं, का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक व्यक्ति के मामले में संदेय महंगाई राहत(डीआर) की मात्रा की गणना करें।

7. महालेखाकार और प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के कार्यालयों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.04.1981 के पत्र सं. 528-टीए, II/34-80-II और भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21.05.1981 के परिपत्र संख्या जीएएनबी सं.2958/जीए-64(ii) (सीजीएल)/81 को ध्यान में रखते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना, उपर्युक्त आदेशों के आधार पर, पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के संदाय की व्यवस्था करें।

8. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के व्यक्तियों के लिए इनके अनुप्रयोग के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

9. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 20 जुलाई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन सं.1/1/2020-ई II(बी) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

एस. एन. माथुर

(संजीव नारायण माथुर)
भारत सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासक
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और केंद्रीकृत पेंशन संदाय केंद्र
4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)
5. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचनार्थ

No. 42/07/2021-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market,
New Delhi - 110003
July 22, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revised rates of Dearness Relief to Central Government Pensioners/Family Pensioners w.e.f. 01.07.2021

The undersigned is directed to refer to Ministry of Finance (Department of Expenditure) Office Memorandum No. 1/1/2020-E-II(B), dated 23.04.2020, vide which instalments of Dearness Relief to pensioners/family pensioners due from 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021, were frozen and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government pensioners/family pensioners shall be enhanced from the existing rate of **17% to 28%** of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) with effect from **1st July 2021**. The increase subsumes the additional instalments arising on 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021. The rate of Dearness Relief, earlier determined vide this Department's OM No. 42/04/2019-P&PW(D) dated 21.10.2019, shall remain at 17% of basic pension/family pension for the period from 01.01.2020 till 30.06.2021.

2. These rates of Dearness Relief will be applicable to:

i. Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Government absorbed pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D) Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
ii. The Armed Forces pensioners/family pensioners and Civilian pensioners/ family pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
iii. All India Services pensioners/family pensioners.
iv. Railway pensioners/family pensioners.
v. Pensioners who are in receipt of provisional pension.
vi. The Burma Civilian pensioners/family pensioners and displaced pensioners/family pensioners from Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. Other provisions governing grant of Dearness Relief in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance

22/7/2021

with the provisions contained in this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G), dated 2.7.1999, as amended from time to time. The provisions relating to regulation of Dearness Relief where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

5. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

6. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of Dearness Relief payable in each individual case.

7. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief to pensioners/family pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II, dated 23/04/1981, of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

8. In their application to the persons belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued under Article 148(5) of the Constitution and after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

9. These issues in pursuance of Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/1/2020-E. II(B) dated 20th July, 2021.

10. Hindi version will follow.

(Sanjiv Narain Mathur) 22/7/2021
Joint Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs /CPPCs of all authorized Pension Disbursing Banks.
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for information.